

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण
भागुराम

बनाम

प्रतिवादीगण
सोहनी देवी

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

राजस्व वाद सं/24 /2018

तांरिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये।

08.10.18

यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री **हनुमानराम अठ्ठा** ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा — के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक **19.11.18** को पेश हो। ✓

19.11.18

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
P.O. सा. युनाव कार्य मं'च्यस्त हैं
पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक **22/11.18** को
प्रस्तुत करें।
2

22.2.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक **03-06-19** को
प्रस्तुत करें।
14/2/19

3.6.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक **16.08.19** को
प्रस्तुत करें।
16/8/19

16.8.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक **6.11.19** को
प्रस्तुत करें।
16/8/19

6-11-19

पत्रिका ३ आयतन

पत्रिका
अंक १०
पत्रिका क्रमांक

मिडिंग में/प्रमण
दिनांक १७-०१-२०

17/1/20

मिडिंग में/प्रमण
दिनांक 17/1/20

17/1/20

वकील वापी डप पुति नं. 1 ग 3 की ओर ले वकील श्री
गोविन्द राम लाल ने वकालतनामा भप हजबामियां पत्रावपन
दिया जो श्रावम. 26 पत्रावपी में तहलीबनाए जापब न
लम्न स्वयं ले लमील सुहा प्राप्त हुआ / पत्रावपी पास
अंतिम दामिली हेतु दिनेड: 26/1/20 को बरस है।

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

26/20

पीठासीम अधिकारी की मिडिंग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक. 29.4.20 को
प्रस्तुत करें।

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

29/5/20

कोरोना लोक 5137

पीठासीम अधिकारी की मिडिंग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक. 29.5.20 को
प्रस्तुत करें।

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

29/5/20

पीठासीम अधिकारी की मिडिंग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक. 29.6.20 को
प्रस्तुत करें।

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश
अनुपाल
संक्षिप्त

अ.अ.२०

वकील वादी उषण पत्रावली में इच्छतालिपि
 अति नं. 1 १०३ की ओर ले चका हो रखा है
 जो साक्षि क्रिया पत्रों अति नं. ५ की तारीख
 अधीन हो चुकी है जो पत्रावली में परफेक्ट
 पत्रावली है अति नं. २१५ में इच्छतालिपि असाब
 पत्र है अतः तनवीमात की आवश्यकता नहीं
 है। मिसल लक्ष्म वादी हेतु मिसल की पत्नी है
 पत्रावली लक्ष्म वादी में क्रि. 18.11.24 का पत्र
 है।

सकार/पदाकारन क अधिवक्ता

17.9.24 को/का/का
 अति नं. 1 १०३
 अति नं. 5
 18.11.24

सकार/पदाकारन क अधिवक्ता

12.11.24 पीठासीन अधिकारी के निर्दिष्ट में/अवकाश
 अवकाश पर काम हो है, इसलिए प्रकृत
 उनके मसख दिनांक 7.1.21

7.1.21 पीठासीन अधिकारी के निर्दिष्ट में/अवकाश
 अवकाश पर काम हो है, इसलिए प्रकृत
 उनके मसख दिनांक 26.2.21

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

26/12/21

अध्यापक/पसकाराण के अविद्यमान

पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट है/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके अवकाश दिनांक 29/11/21 को प्रकाश करें।

28/12/21

अध्यापक/पसकाराण के अविद्यमान

पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट है/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके अवकाश दिनांक 03-06-21 को प्रकाश करें।

31/12/21

अध्यापक/पसकाराण के अविद्यमान

पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट है/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके अवकाश दिनांक 29-5-22 को प्रकाश करें।

24/12/21

अध्यापक/पसकाराण के अविद्यमान

पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट है/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकाश उनके अवकाश दिनांक 12-8-21 को प्रकाश करें।

12/8/21

पत्रावली सन्तुष्ट। वसुलाम उपलब्धता साहय वादी हेतु समय चाहे हैं। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17-09-21 को पेश हो।

17/11/21

पत्रावली सन्तुष्ट। वसुलाम उपलब्धता गत अवधि में को पालना हेतु समय पदा जो न्यायहित में दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/11/21 को पेश हो।

Handwritten signature and official stamp at the bottom right of the page.

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश की
अनुपालना का
संक्षिप्त नोट

29/11/21

पत्रावली प्रस्तुत। वसुन्धरा उपस्थिता सारप
वादी हेतु एक अग्रस्त ऑट्ट न्याय जो
कि पूर्व में दिये जा चुके हैं। वकील
के बार-बार निवेदन पर सारप वादी
हेतु एक अग्रस्त ऑट्ट दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 07.02.2022 को फेशनी

AM
[Stamp]

7/2/22

अध्यापक/पत्रावली के आवश्यक

PO सादर अग्रस्त पर

सौजन्य से प्रतिक्रिया देना
सर्वोपर्यन्त प्रतिक्रिया
अपने उपाय दिनांक 06.4.22
पर्यन्त करें।

6/4/22

अध्यापक/पत्रावली के आवश्यक

सौजन्य से प्रतिक्रिया देना
सर्वोपर्यन्त प्रतिक्रिया
अपने उपाय दिनांक 16/5/22
पर्यन्त करें।

16/5/22 वकील वादी अनुपस्थित। वकील
वादी को आवाज लगाई गई। बाद
आवाज वकील वादी हाजिर नहीं
आये हैं तथा ना स्वयं वादीगण
हाजिर आये हैं।

अतः वाद वादीगण का अधिन
धारा 53, 80 R.F. Act 1955 का अर्थ
हाजरी एवं अदम पंरवी में स्वारीज
किया जाता है। मिसल निर्णय तब
से कम होकर वाद जाता कार्यवाही
दाखिल दफ्तर रहे।

AM
[Stamp]